

--::-- छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन --::--

प्रधान-कार्यालय, एन-3, अंबति विहार, रायपुर

कमांक/छगवेका/स्था0/2014-15/

12680

रायपुर, दिनांक-29-09-14

:: आदेश ::

छग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के संचालक मण्डल की 31वीं बैठक दिनांक 24.09.14 के प्रस्ताव एवं ठहराव कं0-31.11 में लिये गये निर्णय अनुसार - निगम के अधिकारी/कर्मचारियों को वाहन भत्ते निम्न निर्देशों के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की गई है :-

01. वे अधिकारी/कर्मचारी वाहन भत्ते हेतु पात्र होंगे, जिनके स्वयं के नाम के वाहन है।
02. निगम के अधिकारी/कर्मचारियों को दिनांक 01.10.14 से निम्नानुसार वाहन भत्ता देय होगा-

कमांक	श्रेणी	वाहन भत्ता ( प्रतिमाह)	वाहन का प्रकार	रिमार्क
01	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी	40 लीटर (पेट्रोल)	मोटर कार	विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं होने पर।
02	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी	30 लीटर (पेट्रोल)	मोटर साइकिल/स्कूटर (गेयर/बिना गेयर)	-
		150/-	साइकिल	-

संचालक मण्डल के उक्त निर्णय के तहत निगम में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को वाहन भत्ते दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

*29/9*  
प्रबंध संचालक

कमांक/छगवेका/स्था0/2014-15/ 12680  
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

रायपुर दिनांक -  
29-09-14

01. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, रायपुर।
02. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, रायपुर।
03. प्रबंधक (लेखा), छग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि संचालक मण्डल के उक्त निर्णय के परिपालन अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
04. प्रबंधक (कार्मिक/वाणिज्य/तकनीकी), कार्यपालन अभियंता, प्रोग्रामर (संविदा), छग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
05. क्षेत्रीय प्रबंधक, छग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, क्षेत्रीय कार्यालय-रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/दुर्ग।
06. वेतन शाखा, छग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
07. समस्त शाखा प्रबंधक, छग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, छत्तीसगढ़।
08. मास्टर नस्ती हेतु।

*29/9*  
प्रबंध संचालक

—:: छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन ::—

(31)

—प्रधान कार्यालय एन-3, अवंति विहार, तेलीबांधा, रायपुर—

क्रमांक/छगवेका/स्था0/2014-15/

4926

रायपुर दिनांक

15-04-14

—:: आदेश ::—

(पुनरीक्षित दर दिनांक 01.04.14)

संचालक मण्डल की 27वीं बैठक दिनांक 29.09.12 के ठहराव क्र0 27.06 में लिये गये निर्णय अनुसार छ0ग0 भण्डारगृह निगम के अधिकारी/कर्मचारी जिनके पास स्वयं के वाहन है, उन्हें पेट्रोल भत्ता दिये जाने हेतु मुख्यालय के पत्र क्र0/छगवेका/स्था0/2012-13/10798 रायपुर दिनांक 23.10.2012 के बिन्दु क्र0 02 पर पेट्रोल दर एवं बिन्दु क्र0 03 में लेख है, कि आगामी वर्षों में वाहन भत्ता की राशि प्रतिवर्ष 01 अप्रैल को निर्धारित पेट्रोल के मूल्य अनुसार संशोधित कर प्रभावी होगा।

1. दिनांक 01.04.2014 को बाजार दर 74.29 पैसे प्रति लीटर की है। तदानुसार दिनांक 01.04.14 से निगम में वाहन भत्ता की गणना हेतु पेट्रोल दर पूर्णांक में रूपये 74.00 (रूपये चौहत्तर मात्र) निर्धारित किया जाता है।
2. यह दर दिनांक 01.04.14 से प्रभावशील होगी। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

क्रमांक/छगवेका/स्था0/2014-15/ 4926  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध संचालक  
रायपुर दिनांक

15-04-14

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छ0ग0 राज्य भण्डारगृह निगम, रायपुर।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय, छ0ग0 राज्य भण्डारगृह निगम, रायपुर।
3. प्रबंधक (कार्मिक/लेखा/वाणिज्य/तकनीकी), वसूली अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
4. सहायक प्रबंधक (लेखा)/वेतन शाखा/भविष्य निधि शाखा छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
5. मास्टर नस्ती हेतु।

प्रबंध संचालक